

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34926/13

दिनांक: 22.11.2019

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा ।

विषय:- अनुपयोगी/नाकारा सामग्री निस्तारण, बकाया पेंशन प्रकरण एवं साईकिल के वितरण प्रगति रिपोर्ट के सम्बन्ध में बैठक आयोजन के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34926/13 दिनांक 05.11.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बकाया पेंशन प्रकरण, साईकिल वितरण एवं अनुपयोगी/नाकारा सामान का निस्तारण के सम्बन्ध में दिनांक 03.12.2019 को प्रातः 11.00 बजे मीटिंग हॉल, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में निम्न हस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है । मीटिंग में आते समय इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.11.2019 द्वारा पूर्व बैठक कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना के साथ (संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लेखाकर्मियों/प्रभारी अधिकारी) आवश्यक रूप से पूर्ण तैयारी के साथ दस्तावेजों सहित उपस्थित होंगे । पिछली बैठक में देखा गया कि आप द्वारा पूर्व में प्रस्तुत पेंशन प्रपत्रों में नई दिनांक अंकित करवाए गए प्रगति के प्रपत्र पुनः प्रस्तुत कर दिये जाते हैं । वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर सही रिपोर्ट अंकित नहीं की जाती है जो कि पेंशन जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति लापरवाही दर्शाता है। ध्यान रहे कि इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति ना हो ।

बैठक के दौरान विभाग में 02 माह से अधिक अवधि के बकाया प्रत्येक पेंशन प्रकरण के बकाया रहने के कारणों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की जावेगी । पेंशन निस्तारण में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाये जायें ।

अनुपयोगी सामान के निस्तारण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 19.06.2019, 01.08.2019, 09.08.2019, 11.09.2019, 10.10.2019 एवं 05.11.2019 द्वारा आपको विस्तृत निर्देश दिये जा चुके हैं । लेकिन इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.11.2019 के द्वारा भेजी गई बैठक कार्यवाही विवरण के अनुसार अभी तक अधिकांश जिलों की प्रगति नगण्य है । अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिले के प्रत्येक लेखाकर्मियों को 01 माह में 15 स्कूलों के अनुपयोगी सामान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें । प्रगति रिपोर्ट पूर्व में भेजे गये व बैठक दिनांक 04.11.2019 में दिये गये प्रपत्र में आवश्यक रूप से लाई जावे ।

अतः समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों की स्कूलों में बकाया अनुपयोगी सामान के निस्तारण की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर जिले में किसी भी स्कूल में अनुपयोगी सामग्री न होने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । किसी शाला प्रधान, अधिकारी व कर्मचारी द्वारा अनुपयोगी सामान के निस्तारण की कार्यवाही न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

साईकिल वितरण की प्रगति रिपोर्ट के सम्बन्ध में भी बैठक में चर्चा की जायेगी । अतः बैठक की दिनांक से पूर्व तिथि तक फॉर्म द्वारा आपूर्ति की गई साईकिलों की निरीक्षण रिपोर्ट, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, साईकिल प्राप्ति एवं वितरण के पूर्ण दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होंगे ।

अपने अधीनस्थ समस्त मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक राजकीय उमावि एवं मावि को अपने स्तर पर बकाया पेंशन प्रकरण, नाकारा सामग्री निस्तारण व साईकिल वितरण की प्रगति शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित करें । इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34926/13

दिनांक: 22.11.2019

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, राउमावि एवं प्रधानाध्यापक, रामावि ।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
3. भण्डारपाल, भण्डार अनुभाग को बैठक में 40 व्यक्तियों के जलपान/चाय की व्यवस्था हेतु ।

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर